

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)

आदेश पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
39/17	क्रॉस एंट्रान्स कोर्ट	केशोली	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
भगवती प्रसाद	बनाम	जागसी ली ल	

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
7/17	वकील द्वारा एक क्रॉस एंट्रान्स कोर्ट द्वारा एक क्रॉस एंट्रान्स कोर्ट विरुद्ध क्रॉस एंट्रान्स कोर्ट के न्यायालय में पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रार कर जारी सम्पन्न क्रॉस एंट्रान्स कोर्ट तलाब कर प्रकरण दिनांक 2/8/17 को पेश हो।	वादी ली ल
8/17	वकील वादी उपरोक्त, क्रॉस एंट्रान्स कोर्ट का सम्पन्न वादतापील सम्पन्न पत्रवाली है, क्रॉस एंट्रान्स कोर्ट की कोर्ट से श्री कृष्ण गोपाल आर्गेन एडवोकेट का बकायत नाम पेश हुआ, वास्ते जवाब दिनांक 6/9/2017 को पेश हो।	
6/17	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रवाली स्थिति में दिनांक 13/9/17 को पेश हो।	
13/17	वकील द्वारा 39-1 जवाब एक सम्पन्न चहा रिपन आगामी दिनांक 27/9/17 को पेश हो।	
27/17	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रवाली स्थिति में दिनांक 29/11/17 को पेश हो।	
29/11/17	वकील द्वारा 39-1 जवाब एक सम्पन्न चहा रिपन आगामी दिनांक 20/12/17 को पेश हो।	
20/18	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रवाली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 27-3-18 को पेश हो।	

कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक

30 ⁰³/₂₂

अज्ञ पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 18/5/22 को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

18 ⁰⁵/₂₂

अज्ञ पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 05/07/22 को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

05 ⁰⁷/₂₂

अज्ञ पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 17/8/22 को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

17 ⁸/₂₂

अज्ञ पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 07/11/22 को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

7 ¹¹/₂₂

पत्रावली पेश हुई। कुलार्थ परीक्षण उपस्थित। साक्ष्यवही 360 नहीं। समझ — वही है। वास्तु साक्ष्यवही पत्रावली दिनांक 30/11/22 को पेश हो। my

30 ¹¹/₂₂

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 25/01/23 को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

25 ⁰¹/₂₃

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थना अनुपस्थित। तीस बार आज्ञा लगाई गई। कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण अदालत हाजरी अदालत पेश की रकारित किया जाता है पत्रावली पेश लक्ष्मण होकर दाखिल दफ्तर हो। my